यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सख्या : 60/2013

[illegible] पुत्र श्री नवरंग खां जाति मुसलमान निवासी बमारीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां

.... वादी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां
2. प्रेमचन्द पुत्र श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासी पाली की झोपडिया तह0 मांगरोल जिला बारां
3. फूलचन्द्र पुत्र श्री रघुनाथ जाति मीणा निवासी पाली की झोपडिया तहसील मांगरोल

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील प्रतिवादी : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 17.06.2013 निर्णय दिनांक : 12.07.2017

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी को आवंटन आदेश दिनांक 18.11.1988 से माली पाल की खसरा नं0 43 रकबा 3 बीघा काश्त भूमि रू0 300 प्रति बीघा से आवंटित हुई थी। जिस पर बाद आदेश आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 02.07.1989 को रूबरू गवाह हल्का पटवारी द्वारा दखल देकर काबिज करवा दिया था। वादी वर्ष 1988 से पूर्व 20 वर्ष से काबिज काश्त होने के आधार पर वादी का भूमि आवंटित हुयी थी। जिस पर 55 वर्षो से वादी काबिज काश्त है। तथा वर्ष 1988 दखल दिनांक से कानूनन सअधिकार आज तक निरन्तर काबिज काश्त है। जिसके वर्तमान खसरा नं0 69 रकबा 4.07 है0 व खसरा नं0 70 रकबा 7.02 है0 कायम किये गये है। वादीगण द्वारा आवंटन राशी सम्पूर्ण हल्का पटवारी के पास जमा करवायी है। बावजूद समस्त औपचारिकता हल्का पटवारी वर्तमान द्वारा काफी अनुमय विनय के बावजूद आज तक वादी को खातेदारी अधिकारो की औपचारिक पूर्ती नही करवाई है। तथा जाना बूझ कर वादी को कानूनन खातेदारी अधिकार से वंचित कर रखा है। निरन्तर 55 सालों से काबिज काश्त के आधार पर वादी कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर भी कब्जा शुदा आराजी को खाते लगवाने का कानूनी अधिकारी है। इस काश्त भूमि को लेकर अन्तिम निर्णय दिनांक 13.12.1989 अपील ऑर्डर नं0 506/89, 507/89 व 508/89 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकार कोटा के यहां से

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

...में हो चुका है। जिसकी कोर्ट अपील आज विचाराधीन तक नही है। न्यायालय निर्णय की प्रति ... कर वादी दिनांक 31.12.2010 दिनांक 09.02.2011 दिनांक 27.07.2012 से श्रीमान से लेकर ...सीलदार प्रतिवादी नं0 1 तक से हल्का पटवारी की शिकायत कर चुका है। लेकिन बावजूद आदेश ...टवारी वादी का रिकॉर्ड तथा खातेदारी अधिकारों की पूर्ति नही कर रहा है, जबकि वादी आज भी यदि ...की कोई शेष राशी हो तो जमा कराने को तत्पर है। वर्तमान हल्का पटवारी नही चाहता कि वादी को खातेदार अधिकार मिले। जबकि भूमि आवंटन प्रभूलाल के खाते दर्ज की जा चुकी है। लेकिन वादी की कब्जा आराजी पर प्रतिवादी नं0 2 व 3 की नजर है जो खातेदारी अधिकार न मिलने से हल्का पटवारी से मिलकर बनावटी कब्जे के 91 के नोटिस लेकर उनके आधार पर वादी की काश्त आराजी पर कब्जा करना चाहते है। जिनको किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। हल्का पटवारी द्वारा अपने राजस्व रेकार्ड जमाबंदी वर्तमान में उक्त आवंटन बाबत कोई इन्द्राज तक नही किया है। और खसरा नं0 69 व 70 सिवायचक दर्ज कर रखी है। इसी का लाभ लेने के लिये प्रतिवादी नं0 2 व 3 वादी को नाजायज परेशन करने लगे है जिनको जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः वादी का खसरा नं0 69 रकबा 4.07 है0 व खसरा नं0 70 रकबा 7.02 है0 में से कब्जे के आधार पर आवंटित खसरा नं0 43 रकबा 3 बीघा पर खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी नं0 1 व 2 को वादी की कब्जा काश्त में भविष्य में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

उक्त आशय का वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट कमांक/भू0अ0/2017/केम्प बमोरीकलां/ दिनांक 12.07.2017 के द्वारा अंकन किया कि ग्राम पाली में छीतर पठान पुत्र नौरंग खा मुसलमान नि0 बमोरीकलां को दिनांक 18.11.1988 को साबिक खसरा नं0 43 की 3 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। साबिक खसरा नं0 43 के हाल खसरा नं0 69 रकबा 4.06 है0 व 70 रकबा 7.02 है. बनाये गये है। ग्राम पाली के हाल खसरा नं0 69, 70 पर कई भी वर्तमान में आवंटी छीतर पठान का कब्जा नही पाया गया है। मुताबिक जमाबंदी सेटलमेंट खसरा नं0 69 व 70 की किस्म गै0 मु0 खाल है जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। हाल खसरा नं0 69 की रकबा 0.80 है0 पर प्रेमचंद पुत्र रघुनाथ मीणा व रकबा 0.80 है0 पर फूलचंद पुत्र रघुनाथ मीणा व खसरा नं0 70 रकबा 0.48 है0 पर प्रेमचंद पुत्र रघुनाथ मीणा व 0.48 है0 पर फूलचंद पुत्र रघुनाथ मीणा का कब्जा है। जिस पर नियमानुसार धारा 22 अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है। हाल खसरा नं0 68 व 70 की शेष भूमि में ग्राम पाली में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, शमशान घाट ग्राम का सार्वजनिक रास्ता व आबादी स्थित हैं। अतः भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की होने, सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने व आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने के कारण आवंटी को गेरखातेदारी/खातेदारी दिया जाना उचित नही है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन व अवलोकन किया। तहसलीदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं [illegible] के आधार पर वादी द्वारा खसरा नं0 69 रकबा 4.07 है0 व खसरा नं0 70 रकबा 7.02 है0 [illegible] के आधार पर आवंटित खसरा नं0 43 रकबा 3 बीघा पर खातेदार घोषित किये जाने हेतु वाद पेश किया है। तहसीलदार मांगरोल के अनुसार भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की होने, सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने व आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने के कारण आवंटी को गैरखातेदारी/खातेदारी दिया जाना उचित नही होने से खातेदारी नही दी जा सकती है। अतः वाद अन्तर्गत खातेदारी घोषणा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2017 को कोर्ट केम्प बमोरीकलां सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल